



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 88

राँची : 09/2/2026

सेवा में,

सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

डी0वी0सी0 हजारीबाग (सिंदुर) सब-स्टेशन से पूर्व-मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0 तक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र संख्या- FP/JH/TRANS/120412/2021/465, दिनांक- 12.08.2025
- विभागीय पत्रांक 3327 दिनांक 16.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि विषयक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। उक्त पृच्छा के क्रम में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 87 दिनांक 15.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निराकरण/वचनबद्धता प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निराकरण/वचनबद्धता की स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

Sl.No.	Query	Compliance by User	Compliance Status
1	Comprehensive Wildlife Management Plan has not been submitted.	Approval letter for the Wildlife Management Plan issued by the PCCF & Chief Wildlife Warden, Jharkhand, Ranchi vide office order no. 49 dated 15.10.2025 (memo no 1137dated 15.10.2025) is attached herewith as annexure-I	The user agency has submitted an Approval latter for the Wildlife Management Plan which is attached here as annexure-I .
2	REC pointed out that since felling of trees (Sl. No. 14) and Raising of Electric Towers (Sl.No. 16) are the Regulatory activities in the Eco Sensitive Zone (ESZ) notification order dated 1 st August, 2019 of Govt. of India, hence it	Undertaking in this regard is attached as annexure-II	The user agency has agreed and submitted an Undertaking regarding the same. annexure-II


	desired a copy of the Zonal Master Plan from State Govt, if made any. Further, the committee emphasized that User Agency should follow the provisions made in the Master Plan , if prepared. Therefore an undertaking from user agency to the effect may be submitted.	
--	--	--

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, हजारीबाग से प्राप्त अनुपालन/निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियों में अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक परियोजना पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

 06/07/2026

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।





कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 87 / हजारीबाग।

दिनांक : 15.01.2026

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ मिश्रा, भा0व0से0,
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय :-

डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदुर) सब-स्टेशन से पूर्व रेलवे (ECR) धनबाद के
टी0एस0एस0 तक 132 के0भी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106
हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

भवदीय पत्रांक 729 दिनांक 19.09.2025

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक
परियोजना डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदुर) सब-स्टेशन से पूर्व रेलवे (ECR) धनबाद के
टी0एस0एस0 तक 132 के0भी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वनभूमि
अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,
रांची के पत्रांक FP/JH/TRANS/120412/2021/465 दिनांक 12.08.2025 द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा
की गई है। इसका निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 2232
दिनांक 12.12.2025 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के पत्रांक 5852
दिनांक 08.12.2025 द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार
अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

Sl. No.	Query	Compliance by User Agency	DFO Commet
1	2	3	4
1	Comprehensive Wildlife Management Plan has not been submitted.	Approval letter for the Wildlife Management Plan issued by the PCCF & Chief Wildlife Warden, Jharkhand, Ranchi vide office order no. 49 dated 15.10.2025 (memo no 1137 dated 15.10.2025) is attached herewith as annexure-I.	The user agency has submitted an Approval letter for the Wildlife Management Plan which is attached here as annexure-I
2	REC pointed out that since felling of trees (Sl. No. 14) and Raising of Electric Towers (Sl. No. 16) are the	Undertaking in this regard is attached as annexure-II	The user agency has agreed and submitted an undertaking regarding the same. annexure-II

DVC Hazaribagh Sindur Sab Station ECR Dhanbad 10.106 ha:

Regulatory activities in the Eco Sensitive Zone (ESZ) notification order dated August 01, 2019 of Govt. of India, hence it desired a copy of the Zonal Master Plan from State Govt. if made any. Further, the committee emphasized that User Agency should follow the provisions made in the Master Plan, if prepared. Therefore an undertaking from user agency to the effect may be submitted.		
--	--	--

प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की चार प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

आपका विश्वासी,

15/01/20
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग।



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन- 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (0) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13-E-5-08/2022:- 2232 दिनांक :- 12-12-2025

प्रेषक,

मामनोज

12/12/25 सेवा में,

ममता प्रियदर्शी, भा0व0से0,
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय:-

डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदुर) सब-स्टेशन से पूर्व-मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0 तक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वनभूमि अंपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

- (क) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 793 दिनांक 09.10.2025
(ख) वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का पत्रांक 5852 दिनांक 08.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्रांक FP/JH/TRANS/120412/2021/465 दिनांक 12.08.2025 द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित किया है, जो निम्नवत् है:-

Sl. No	Query	Compliance by User Agency	DFO Comment
1	Comprehensive Wildlife Management Plan has not been submitted.	Approval letter for the Wildlife Management Plan issued by the PCCF & Chief Wildlife Warden, Jharkhand, Ranchi vide office order no.49 dated 15.10.2025 (memo no 1137 dated 15.10.2025) is attached herewith as annexure-I.	The user agency has submitted an Approval letter for the Wildlife Management Plan which is attached here as annexure-I
2	REC pointed out that since felling of trees (Sl. No.14) and Raising of Electric Towers (Sl. No.16) are the Regulatory activities in the Eco Sensitive Zone (ESZ) notification order dated	Undertaking in this regard is attached as annexure-II	The user agency has agreed and submitted an undertaking regarding the same. Annexure-II

<p>August 01, 2019 of Govt. of India, hence it desired a copy of the Zonal Master Plan from State Govt. if made any. Further, the committee emphasized that User Agency should follow the provisions made in the Master Plan, if prepared. Therefore an undertaking from user agency to the effect may be submitted</p>		
---	--	--

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की पांच प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

आपका विश्वासी

<p>वन संरक्षक हजारीबाग</p> <p>प्रमाणित 253/</p> <p>दिनांक 17.12.25</p>
--

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribagwest@rediffmail.com & dfo-hazaribagwest@gov.in

सेवा में,

पत्रांक...5852.../ दिनांक...08/12/25...

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषय:-

डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदूर) सब- स्टेशन से पूर्व- मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के
टी0एस0एस0 अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/JH/TRANS/120412/2021 तक 132
के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वन भूमि अपयोजन
प्रस्ताव के संबंध में।

आपका पत्रांक 2036 दिनांक 07.11.2025 एवं पत्रांक 2037 दिनांक 07.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना
132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में अपयोजित होने वाले वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव
पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा दो
बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसके संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पत्रांक 634 दिनांक
02.12.2025 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी समर्पित किया गया है।
जो निम्नवत है :-

Sl. No.	Query	Compliance	DFO Comment
1	The committee demanded a comprehensive Wildlife Management Plan for the proposal for further consideration.	Approval letter for the Wildlife Management Plan issued by the PCCF & Chief Wildlife Warden, Jharkhand, Ranchi vide office order no. 49 dated 15.10.2025 (Memo no. 1137 dated 15.10.2025) is attached herewith as annexure-I,	The user agency has submitted an Approval letter for the Wildlife Management Plan which is attached here as annexure-I

		proposed to be done under this plan.	
2	REC pointed out that since felling of trees (Sl.No.14) and Raising of Electric Towers (Sl. No.16) are the Regulatory activities in the Eco Sensitive Zone (ESZ) notification order dated August 01,2019 of Govt. if made any. Further, the committee emphasized that User Agency should follow the provisions made in the Master Plan, if prepared. Therefore an undertaking from user agency to the effect may be submitted.	Undertaking in this regard is attached as annexure-II	The user agency has agreed and submitted an undertaking regarding the same. annexure-II

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,
[Signature]
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल